# जयपुर, जोधपुर और कोटा में एक ही नगर निगम रहेगा : झाबर सिंह खर्रा

## प्रदेश में एक शहर-एक निकाय लागू होगा; 2025 में एक साथ होंगे चुनाव

-कार्यालय संवाददाता-

**जयपुर**। जयपुर, जोधपुर और कोटा में पुनः एक ही नगर निगम बनेगा। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में इन निकायों के टुकड़े कर दो-दो नगर निगम बनाने के फैसले को बदलने की बात साफ कह दी है। खर्रा ने कहा कि राजस्थान में "एक शहर-एक निकाय" लागू होगा, वर्ष 2025 तक इन तीनों शहरों में एक साथ चुनाव करवाए जाएंगे।

यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने जयपुर में अपने सरकारी आवास पर मीडिया से बातचीत में कहा कि राजस्थान सरकार "एक राज्य, एक चुनाव" को लेकर मजबूती से डटी है और इसी दिशा में काम चल रहा है। जिन शहरी निकायों का सीमा विस्तार होना है, उसका काम किया जाएगा। सीमा विस्तार के बाद वार्डों का पुनर्गठन होगा। जब एक स्टेट, एक चुनाव हो रहा है तो एक शहर, एक निकाय भी लागू करेंगे। वर्ष 2025 में सभी शहरी निकायों के चुनाव एक साथ करवाएंगे।

### बड़े पैमाने पर मर्ज हो सकते हैं वार्ड

सूत्रों की मानें तो "एक शहर-एक निकाय" के लिए बड़े पैमाने पर बनाए गए वार्ड मर्ज हो सकते हैं। जयपुर, जोधपुर और कोटा में फिर से एक-एक नगर निगम के हिसाब से वार्ड बनाने होंगे। इससे वार्डों का पुनर्गठन होगा। इस प्रक्रिया में समय लगता है। एक शहर, एक निकाय लागू करने से तीनों शहरों में नगर निगम की व्यवस्थाएं बदलेंगी। इसका असर निकाय चुनावों पर भी होगा। दो-दो की जगह फिर से इन शहरों में एक ही मेयर होगा। वार्ड मर्ज किए तो पार्षदों की संख्या भी घटेगी।

### कई निकायों में लगेंगे प्रशासक

"एक राज्य-एक चुनाव" करवाने की हालत में राज्य सरकार को कई निकायों में प्रशासक लगाने होंगे। यूडीएच मंत्री ने निकायों में प्रशासक

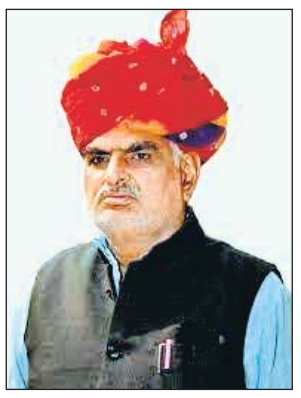

झाबर सिंह खर्रा

लगाने की तैयारी के संकेत दिए हैं। एक साथ चुनाव करवाने के कारण जिन निकायों के चुनाव इस साल बाकी है, उनके चुनाव अगले साल तक के लिए टालने होंगे। शहरी सीमाएं, वार्ड बदलने में अभी जनगणना रजिस्ट्रार जनरल की रोक "एक शहर,एक निकाय" और वार्डों के पुनर्गठन में सबसे बड़ी बाधा जनगणना है, गत 1 जुलाई से प्रशासनिक सीमाएं फ्रीज करने के आदेश जारी हो चुके हैं।

केंद्रीय गृह मंत्रालय से यह रोक हटने तक सरकार वार्ड से लेकर शहर-जिले तक की सीमा में कोई बदलाव नहीं कर सकती। ऐसे हालात में वार्ड परिसीमन भी नहीं हो सकता, न बाउंड्री बदल सकती है। वार्डों के परिसीमन के बिना निकायों के चुनाव आगे बढ़ाने का कोई कानूनी रास्ता भी नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि वार्ड परिसीमन का तर्क देकर सरकार चुनाव आगे बढ़ा सकती है, लेकिन बिना रोक हटे यह संभव नहीं है। बताया जा रहा है कि सीएम भजनलाल शर्मा ने 4 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें जनगणना रजिस्ट्रार जनरल के नई प्रशासनिक यूनिट बनाने, जिले, शहर, गांव, वार्ड की सीमाएं बदलने पर लगी रोक हटाने की मांग की थी। केंद्र की तरफ से इस मामले में फिलहाल कोई छूट नहीं मिली है।

### सीमांकन विवाद से परेशान हैं लोग

जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम के दो टुकड़े करने के बाद सीमांकन को लेकर सबसे ज्यादा विवाद हुए। सफाई, सीवरेज, गार्डन, आवारा पशु और पट्टे जैसे मुद्दों को लेकर नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी आपस में ही उलझे रहते हैं। जब किसी जिम्मेदारी की बात आती है तो अधिकारी और कर्मचारी उसे दूसरे निगम का बताकर पल्ला झाड़ लेते हैं और भुगतना जनता को पड़ता है।

उदाहरण के तौर पर जयपुर नगर निगम में ग्रैटर मेयर सौम्या गुर्जर, नगर निगम हैरिटेज क्षेत्र में अवैध डेयरी पर कार्रवाई करने पहुंच गई थी, लेकिन जब उन्हें सीमा का पता चला तो बिना कार्रवाई के ही लौटना पड़ा था। जिस पर आपत्ति दर्ज कराते हुए उन्होंने कहा था कि भले ही डेयरी हैरिटेज क्षेत्र में है, लेकिन वहां के आवारा पशु ग्रेटर को गंदा कर रहे हैं। इसी तरह सफाई और सड़क जैसे मुद्दों को लेकर भी दोनों निगमों में टकराव बना हुआ है, जिसका खामियाजा जनता को उठाना पड़ रहा है।

# मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का टोक्यो में हुआ ज़ोरदार अभिनंदन

**मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जापान के टोक्यो पहुंचने पर प्रवासी राजस्थानियों ने गर्मजोशी से अभिनंदन किया। इस दौरान उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और अन्य प्रतिनिधिमंडल का भी तिलक लगाकर और दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया।**

**टोक्यो**। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा दो दिवसीय यात्रा पर सिओल से जापान की राजधानी टोक्यो पंहुचने पर निजी होटल में भाजपा व्यवसायिक प्रकोष्ठ राजस्थान के प्रदेश संयोजक व ज्वैलर असोसिएशन के उपाध्यक्ष राजू मंगोड़ीवाला व यामानाशी ज्वैलरी एसोसिएशन के चैयरमेन नवीन सौंखियां के संयुक्त नेतृत्व में प्रवासी राजस्थानियों ने ज़ोरदार गर्मजोशी के नारों "स्वागत राजस्थान" मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया।

राजू मंगोड़ीवाला ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 के विकसित भारत व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आपणों अग्रणी राजस्थान के तहत दिसंबर में होने वाली राजस्थान राईजिंग मीट हेतु जापान में रह रहे भारतीय व राजस्थानी प्रवासियों में उत्साह है और बड़ी संख्या में निवेशक जापान में होने वाली रोड शो मीटिंग में जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री के साथ उपमुख्यमंत्री डॉ.प्रेमचंद बैरवा व अन्य प्रतिनिधि मंडल का भी तिलक लगाकर दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। स्वागत करने वालों में प्रमुख रूप से भाजपा व्यावसायिक प्रकोष्ठ राजस्थान के संयोजक राजू मंगोड़ीवाला, जापान राजस्थान प्रवासी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष नवीन सौंखियां, गारमेन्ट्स एक्सपोर्टर ज्ञान प्रकाश मित्तल, इण्डस्ट्रियल कौशल शर्मा, संगीता शर्मा, श्रीकांत बड़वे, किरण शाह व किशोर तिलवानी सहित दर्जनों व्यवसायियों व प्रवासी बंधुओं की उपस्थिति रही। जापान से जुड़े राजस्थानी प्रवासी व यामानाशी ज्वैलरी एसोसिएशन के चैयरमेन नवीन सोखियां ने बताया कि कोरोना काल के समय भी टीम ने वर्चुअल रूप से जुड़कर मानवीयता के इस विषम परिस्थिति में सहयोग किया था।

# निजी भूमि पर सड़क निर्माण पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

**जयपुर**। राजस्थान हाईकोर्ट ने सांगानेर तहसील स्थित निजी कृषि भूमि पर सीसी रोड निर्माण करने पर मुख्य सचिव और कलेक्टर सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश सरोज देवी की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने संबंधित अधिकारियों से पूछा है कि सरकारी धन का उपयोग कर निजी भूमि पर सडक निर्माण कैसे किया गया है।

याचिका में अधिवक्ता प्रतीक कासलीवाल ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता की सांगानेर तहसील के ग्राम गवार ब्राह्मणान में कृषि भूमि है। पंचायत समिति ने अन्य स्थानीय अधिकारियों से मिलकर उसकी इस जमीन पर अवैध रूप से सीसी रोड का निर्माण कर लिया। ग्राम विकास अधिकारी की जांच में भी सामने आया कि याचिकाकर्ता की निजी कृषि भूमि पर अवैध तरीके से सड़क का निर्माण हुआ है और उसके रोड निर्माण के लिए आवंटित सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है। इसके अलावा जांच रिपोर्ट में जिम्मेदारों से इस राशि की रिकवरी की बात भी कही गई। याचिका में कहा गया कि ग्राम पंचायत निजी भूमि पर रोड निर्माण कैसे कर सकती है। इसलिए अवैध रूप से हुए सड़क निर्माण की स्वतंत्र जांच कराई जाए। वहीं याचिकार्ता की भूमि पर बनी इस रोड को हटाया जाए और याचिकाकर्ता को हुई मानसिक पीडा के लिए उसे उचित क्षतिपूर्ति दिलाई जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

# देवनानी ने दधीचि जयन्ती समारोह के स्टीकर का विमोचन किया

**जयपुर**। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मंगलवार को विधान सभा में दधीचि जयन्ती समारोह के स्टीकर "रक्तदान-नेत्रदान-देहदान-महादान" का विमोचन किया। देवनानी ने समारोह के लिये शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि रक्तदान, नेत्रदान और देहदान मानव जीवन के लिये महादान है। लोगों को दानवीर महर्षि दधीचि के त्याग के अनुरूप मानव सेवार्थ के लिये स्वेच्छा से आगे आना चाहिए। इस मौके पर राजस्थान प्रांतीय दाधीच (दाहिमा) ब्राहम्ण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राधव शर्मा, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अशोक सूटवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेन्द्र भाभडा, प्रदेश संयोजक शंकर लाल शर्मा, गौरव भाभडा और रघुवीर दाधीच मौजूद थे।

# परमवीर चक्र सम्मानित अब्दुल हमीद का बलिदान दिवस मनाया

**जयपुर**। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से आज प्रदेशभर में 1965 के भारत-पाक युद्ध के महानायक अमर वीर शहीद परमवीर चक्र सम्मानित अब्दुल हमीद का 59वां बलिदान दिवस मनाया गया।

भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष हमीद खान मेवाती ने बताया कि भाजपा प्रदेश कार्यालय, जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में खिराजे अकीदत (श्रद्धांजलि) पेश की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं खण्डार विधायक जितेन्द्र गोठवाल रहे। इस दौरान जितेन्द्र गोठवाल ने कहा कि परमवीर चक्र सम्मानित अब्दुल हमीद की देशभक्ति, वीरता, जीवनी के बारे में सभी को विस्तार से जानना चाहिए। सभी कार्यकर्ताओं ने उनके लिए दुआ-ए-मगफिरत की एवं देश में अमन, चैन, खुशहाली के लिए भी दुआ की गई।

इस अवसर पर भाजपा प्रदेश कार्यालय प्रभारी मुकेश पारीक, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एम. सादिक खान, मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष जंग बहादुर पठान, प्रदेश मंत्री मुराद अली शेख, जयपुर शहर जिला महामंत्री एम. परवेज खान, जिला मंत्री नदीमुद्दीन अंसारी, भाजपा मण्डल महामंत्री संयुम अली, मण्डल अध्यक्ष इकबाल हुसैन, मण्डल महामंत्री मोहम्मद हाशिम खान सहित मोर्चा के प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

# पार्किंग स्थल पर अव्यवस्था हेरिटेज निगम व ठेकेदार पर हर्जाना

**जयपुर**। जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-तृतीय ने पार्किंग स्थल पर अव्यवस्थाओं से जुडे मामले में हेरिटेज नगर निगम, ठेकेदार व गणपति प्लाजा के जीएम पर संयुक्त तौर पर 50 हजार रुपए हर्जाना लगाया है। आयोग के अध्यक्ष देवेन्द्र मोहन माथुर व सदस्य सीमा शर्मा ने यह आदेश दीपक वर्मा के परिवाद पर दिए। आयोग ने कहा कि पार्किंग स्थल पर नगर निगम का बोर्ड और ठेकेदार के नंबर होने चाहिए, लेकिन अधिकतर स्थानों पर ना तो बोर्ड होता है, ना ठेकेदार के नंबर और उसके ठेके की अवधि भी नहीं होती। इस के चलते इन जगहों पर आम उपभोक्ता को परेशानी का सामना करना पडता है।

परिवाद में कहा गया कि वह 10 अप्रैल 2023 को दोपहर ढाई बजे अपने दुपहिया वाहन को गणपति प्लाजा के बाहर खडा कर गुलाब चाय वाले के पास बैठा था। वह 15 मिनट बाद जब अपने वाहन के पास पहुंचा तो वहां एक व्यक्ति आया और खुद को नगर निगम का कर्मचारी बताकर 15 रुपए पार्किंग शुल्क वसूले। परिवादी ने घर जाकर देखा तो पता चला कि यह शुल्क 2 घंटे के लिए था। इसे उपभोक्ता आयोग में चुनौती देते हुए कहा कि पार्किंग स्थल पर कहीं पर भी बडे अक्षरों में शुल्क व अवधि के बारे में नहीं लिखा था। वहीं पार्किंग पर्ची पर भी शुल्क और उसके ऑफिस का पता भी अंकित नहीं था। ऐसे में गणपति प्लाजा के बाहर सडक पर अवैध तरीके से कब्जा कर पार्किंग शुल्क वसूला जा रहा है। नगर निगम ने जवाब में कहा कि उन्होंने 26 मई 2023 से 25 मई 2024 की अवधि के लिए ई-ऑक्शन कर पार्किंग का ठेका दिया है। परिवादी की ओर से पेश पर्ची में कहीं पर भी हेरिटेज निगम नहीं लिखा है, इससे उनका कोई संबंध नहीं है। आयोग ने दोनों ओर की बहस सुनकर कहा कि पर्ची पर ठेकेदार के दस्तखत हैं, लेकिन यह चौंकाने वाला है कि परिवादी से 15 मिनट के लिए 15 रुपए वसूले हैं।